न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 43/2020

1 रूघनाथ पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर।
2 रामेश्वर पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर।
3 शिवभगवान पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर।
4 मूलचन्द पुत्र अमराराम जाति गुर्जर।
5 गोरधन पुत्र शैतानाराम जाति गुर्जर।
6 जीवराम पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर।
7 रामकुमार पुत्र दिलसुख जाति गुर्जर।
8 सांवरमल पुत्र प्रहलादराम जाति ब्राहम्ण।
9 बजरंगलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण।
10 द्वारका प्रसाद पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण।
11 सांवरमल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत।
12 चौथूराम पुत्र भैरूराम जाति कुमावत।
13 सुखदेवाराम पुत्र नानूराम जाति बलाई निवासीगण टीबा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजकुमार पुत्र शंकरलाल।
2 विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल।
3 हरिश कुमार पुत्र शंकरलाल।
4 मदनलाल पुत्र शंकरलाल।
5 भंवरी पत्नी शंकरलाल।
6 विश्वदेव पुत्र केशरदेव।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 सोहनी पत्नी ओमप्रकाश।
8 शिवभगवान (फौत)।
8/1 महावीर पुत्र शिवभगवान।
8/2 आनन्दलाल पुत्र शिवभगवान।
8/3 बेवी पुत्री शिवभगवान।
8/4 पिंकी पुत्री शिवभगवान।
8/5 गुडिया पुत्री शिवभगवान।
9 सीमा पुत्री शंकरलाल।
10 मनोज पुत्र ओमप्रकाश।
11 रजनीश पुत्र ओमप्रकाश।
12 नन्दा पुत्री ओमप्रकाश।
13 मधु पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण टीवा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.09.2019 वाद
रामकुमार आदि बनाम शिवभगवान आदि मुकदमा
नम्बर 96/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री फुलचन्द थालोड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 16·4·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज का दिनांक 24.07.2014 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजीयात पुराना खसरा नम्बर 99 रकबा 3.33 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 178 रकबा 0.10 किस्म गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 174, खसरा नम्बर 180, खसरा नम्बर 181, पुराना खसरा नम्बर 81 के नये खसरा नम्बर 148, पुराने खसरा नम्बर 83 के नया खसरा नम्बर 150, पुराना खसरा नम्बर 85 के नया खसरा नम्बर 152, खसरा नम्बर 86 के नया खसरा नम्बर 153, पुराना खसरा नम्बर 87 के नया खसरा नम्बर 154, पुराना खसरा नम्बर 87/100 के नया खसरा नम्बर 155 वाके ग्राम टीबा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 व 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में नया खसरा नम्बर 155 रकबा 0.04 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा 87/100 गैर मुमकिन रास्ता को बिना माईण्ड अप्लाई किये खातेदारी अधिकार दे दिया है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता जो टीबा की ढ़ाणी के ग्रामवासी द्वारा शमशान घाट में मृतक को ले जाना का था। ग्रामवासियो ने एक आवेदन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ता पर अतिक्रमण कर बंद कर दिये जाने को खुलवाने बाबत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दिया जो पटवारी हल्का बादुसर ने जांच रिपोर्ट में

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील
सीकर

रास्ते को बंद पाये जाने पर रेस्पोडेंट को तहसीलदार ने दर्ज कर नोटिस दिनांक 31.07.2019 को रास्ते में से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। विचारण न्यायालय ने प्रचलित राजकीय गैर मुमकिन रास्ते की किस्म परिवर्तन कर गलत रूप से राजकीय भूमि अर्थात रास्ते की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 13 वादीगण के नाम किए जाने का निर्णय व डिकी पारित किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अत अपील प्रस्तुत करने की अनुमती के साथ अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हक अधिकार खातेदारी भूमियों ग्राम टीबा की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ में प्रचलित गैर मुमकिन रास्ते को सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बिना किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन पर सक्षम आदेश के बिना पक्षकारों को नोटिस दिये बिना व बिना किसी आदेश के सेटलमेंट के पुराने खसरा नम्बर 87/100 नया खसरा नम्बर 155 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व पुराना खसरा नम्बर 99 से बने नया खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करने का व नक्शे में मौके के वितरित जाकर परिवर्तन किया है। जो वादी के खातेदारी भूमियों को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। पुराना खसरा नम्बर 99 नया खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि से खातेदारी में नया खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हैक्टेयर खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ते को हजब किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 155 रकबा 0.04 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा 87/100 गैर मुमकिन रास्ता को बिना माईण्ड अप्लाई किये खातेदारी अधिकार दे दिया है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता जो टीबा की ढ़ाणी के शमशान घाट में जाता था। इस कटानी रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। इसको हटाने के लिये ग्रामवासियो ने एक आवेदन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ते पर अतिक्रमण कर बंद किये गये रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दिया जो पटवारी हल्का बादुसर ने जांच रिपोर्ट में रास्ते को बंद पाये जाने पर रेस्पोडेंट को तहसीलदार ने दर्ज कर नोटिस दिनांक 31.07.2019 को रास्ते में से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। विचारण न्यायालय ने मौके पर रास्ता होने के उपरान्त भी पक्षकारों को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। एवं धारा 96 स्वीकार किया जाता है विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर